न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 130/2009

1. श्रीमती पुष्पलता पत्नि श्री पन्नालाल उर्फ पन्नजी बाफना जाति बाफना (ओसवाल) निवासी बाफनों का मौहल्ला, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल सिटी रोड़, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीया/वादिया

बनाम

1. मै0 राधेरामा बिल्ड होम प्रा0लि0 नाहरगढ़ रोड़, जयपुर (राज0) जरिये निदेशक श्री मुकेश कुमार छीपा पुत्र श्री राधेश्याम छीपा निवासी 3994 बी. नाहरगढ़ रोड़, जयपुर राज0
2. श्री पन्ना लाल उर्फ पन्नजी बाफना पुत्र श्री हीराचन्द जाति बाफना (ओसवाल) निवासी बाफनों का मौहल्ला, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल सिटी रोड़, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री कालू सिंह बाफना जाति बाफना (ओसवाल) निवासी बाफनों का मौहल्ला, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल सिटी रोड़, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते पत्थरगढ़ी करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत्</u>

दिनांकः 15/12/2021

उपस्थितः श्री परमानन्द शर्मा — प्रार्थी/वादिया अभिभाषक
श्री इन्द्रेश कुमार — अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया/वादिया द्वारा जरिये वकील श्री परमानन्द शर्मा के माध्यम से राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण वास्ते सीमाओं की पत्थरगढ़ी करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीया/वादिया द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थीया के खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 211/5 रकबा 04–16–10 भूमि ग्राम तोलामाल पटवार क्षेत्र बड़गांव तहसील किशनगढ़ में स्थित है। उक्त भूमि नेशनल हाईवे से लगती हुई है उक्त प्रार्थीया की भूमि का नेशनल हाईवे पर पूर्व से पश्चिम 128 फीट की चौड़ाई का फ्रन्ट है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में वर्णित कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि पर काबिज होकर अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीया के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का किसी तरह का कोई हक हिस्सा या अधिकार नहीं है। प्रार्थीया की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 8 है। जिसको वर्तमान में 6 लेन के नाम से जाना जाता है एवं पूर्व दिशा में राजस्व रिकार्ड के नक्शे के अनुसार ख0नं0 211/3, उत्तर दिशा मं राजस्व रिकार्ड के नक्शे के अनुसार ख0नं0 211/2, पश्चिम दिशा में राजस्व रिकार्ड के नक्शे के अनुसार ख0नं0 211/6 की कृषि भूमि है। जिसको अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा हाल ही में उक्त भूमि के पूर्व खातेदारों से क्रय किया गया है। जिसका हाल में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने से जानकारी प्राप्त हुई है। प्रार्थीया की कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में ही अप्रार्थी सं0 2 व 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा उक्त भूमि को उक्त कृषि भूमि के खातेदारों से क्रय करने के बाद एवं हाल ही में उक्त का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाने के बाद आये दिन प्रार्थीया को प्रार्थीया की कृषि भूमि के पूर्व दिशा में स्थित सीमा एवं उत्तर दिशा में स्थित सीमा विवाद करके परेशान करता रहता है एवं आपराधिक रूप से प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि पर सीमा विवाद करके प्रार्थीया को परेशान करने का काम करता रहता है। अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा प्रार्थीया की कृषि भूमि के पूर्व दिशा, उत्तर दिशा व पश्चिम दिशा की कृषि भूमि को क्रय करने के बाद एवं उक्त का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के बाद बिना सीमा ज्ञान करवाये प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य स्थित भूमि पर चार दीवारी करवाने पर उतारू है। अप्रार्थी सं0 1 नाजायज रूप से प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि पर अतिक्रमण व कब्जा करने की नियत से उक्त चार दीवारी करवाना चाहता है ताकि प्रार्थीया को प्रार्थीया की खातेदारी की कब्जे काश्त की भूमि से वंचित कर सके। अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा नाजायज रूप से प्रार्थीया की कृषि भूमि पर अवैध रूप से चार दीवारी का निर्माण करने हेतु अपने व्यक्तियों से दिनांक 20.11.2009 को पत्थर डलवा दिये गये। प्रार्थीया को उक्त पत्थर डालने की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थीया अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ मौके पर गई तब अप्रार्थी सं0 1 के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

कर्मचारी व मजदूर मौके पर मिले एवं उनके द्वारा कहा गया कि हमारे को हमारे सेठ ने चार दीवारी करवाने हेतु भेजा गया है। प्रार्थीया के द्वारा मौके पर मिले व्यक्तियों से कहा गया कि सीमा ज्ञान करवाये बगैर एवं अप्रार्थी सं0 4 की चार दीवारी हेतु अनुमति लिये बिना चार दीवारी निर्माण करने का व करवाने का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। जहां पर आप लोगो के द्वारा पत्थर डाले गये है एवं नीवे खोदी गई है वहा पर हमारे खातेदारी की कृषि भूमि है। इस कारण तुम्हारे को वहा पर चार दीवारी का निर्माण करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थीया के द्वारा विरोध करने पर अप्रार्थी सं0 1 के कर्मचारियों के द्वारा अपने सेठ से बात करने के बाद कहा कि हम किसी तरह का कोई सीमा ज्ञान नहीं करवायेंगे एवं आज नहीं तो कल चार दीवारी का निर्माण करवा कर रहेंगे। इस प्रकार अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा बिना सीमाज्ञान के प्रार्थीया की कृषि भूमि के पूर्व दिशा व उत्तर दिशा में स्थित सींव पर अवैध रूप से प्रार्थीया की कृषि भूमि पर चार दीवारी का निर्माण करने पर उतारू होकर सीमा विवाद पैदा कर दिया गया है एवं प्रार्थीया से, अप्रार्थी सं0 1 के कर्मचारी कहते है कि हमारी भूमि जहा पर हमारे द्वारा पत्थर डाले गये है एवं नीवे खोदी गई है वहा तक आती है। जबकि अप्रार्थी सं0 1 की भूमि जहां पर पत्थर डाले गये है वहा तक नहीं आती है। इसलिए प्रार्थीया के द्वारा न्यायालय में अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का नाप चौप करवा कर प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि पर पत्थर गढ़ी करवाने बाबत् यह वाद/प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी सं0 1 व उसके कर्मचारियों को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वे प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि पर किसी तरह का चार दीवारी का निर्माण नहीं करे व न ही प्रार्थीया को अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी तरह की बाधा कारित करे न ही कब्जा काश्त में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न करे। प्रार्थीया की कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी सं0 2 व 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी की भूमि का अंकन हो रखा है, इस कारण अप्रार्थी सं0 2 व 3 को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी सं0 2 व 3 की खातेदारी की कृषि भूमि व प्रार्थीया की कृषि भूमि के मध्य किसी तरह का कोई विवाद प्रश्नगत प्रकरण में नहीं है। परन्तु प्रश्नगत प्रकरण पत्थरगढ़ी का होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीया की कृषि भूमि की सीमा पर पत्थर गढ़ी करवाये जाने के आदेश पारित किया जाना आवश्यक है तथा अप्रार्थी सं0 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

किसी तरह की बाधा कारित नहीं करे एवं किसी तरह की चार दीवारी का निर्माण नहीं करे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण दिनांक 20.11.2009 को उत्पन्न है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित ख0नं0 211/5 रकबा 04–16–10 भूमि पर अप्रार्थी सं0 4 की उपस्थिति में पत्थर गढ़ी किये जाने के आदेश पारित करने व अप्रार्थी सं0 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का कि वह प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि पर कब्जा काश्त में किसी तरह की बाधा कारित नहीं करे एवं न ही किसी तरह की कोई चार दीवारी का निर्माण करे एवं न ही प्रार्थीया की भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण करे।

3. अप्रार्थी को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से वकील श्री इन्द्रेश कुमार द्वारा तथा अप्रार्थी सं0 3 की ओर से वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा द्वारा वकालत नामा पेश किया गया। अप्रार्थी सं0 2 व 3 की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब बन्द किया गया।

3.1 अप्रार्थी सं0 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया ने अलग–अलग विधियों के अन्तर्गत अलग–अलग प्रावधानों को समेकित कर गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र संस्थित किया है। प्रार्थीया का उक्त परिवेश में प्रस्तुत प्रकरण प्रथम दृष्टया ही अलग–अलग कारणों के अनुतोषों का संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रकरण निरस्तनीय है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम अलग–अलग विधिया है जिसमें वाद/प्रकरण सुनवाई की अलग–अलग उपबन्ध, प्रक्रिया अभिनिर्धारित है। अतः इस परिवेश में प्रथम दृष्टया ही प्रार्थीया का प्रकरण निरस्तनीय है। प्रार्थीया ने अत्यन्त भ्रामक तथ्यों के आधार पर हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया ने तथाकथित खसरा संख्या 211/5 के पूर्व दिशा, उत्तर दिशा के पड़ौसी को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः इस परिवेश में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन से निरस्तनीय है। किसी भी भूमि का निर्धारण जब तक उससे लगते हुए समस्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया जाता है किसी एक सीमा के आधार पर अवधारण नहीं हो सकता है। इस आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थीया ने ख0नं0 211/5 की सीमाओं का जो उल्लेख किया है वह अस्वीकार्य है। प्रार्थीया ने जानबुझकर वेग, अस्पष्ट, भ्रामक कथन किये है। प्रार्थीया दुर्भावना पूर्वक सड़क पर अधिक खुलती हुई भूमि का अधिकार चाहती है इसी दुर्भावना से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 3 में वर्णित कथन आपस में ही विरोधाभासी है एक तरफ प्रार्थीया ख0नं0 211/5 के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

पश्चिम दिशा में अप्रार्थी उत्तरकर्ता की ख0नं0 211/6 की भूमि बता रही है एवं इसी पैरा की अन्तिम पंक्ति में अप्रार्थी सं0 2, 3 जो उसके परिजन है उनकी भूमि दर्शा रही है। जानबूझकर अप्रार्थी सं0 2, 3 की भूमि के खसरा संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विरोधाभासी होने के कारण निरस्तनीय है।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीया/वादिया द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में वर्णित कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि पर काबिज होकर अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीया के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का किसी तरह का कोई हक हिस्सा या अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा प्रार्थीया की कृषि भूमि के पूर्व दिशा, उत्तर दिशा व पश्चिम दिशा की कृषि भूमि को क्रय करने के बाद एवं उक्त का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के बाद बिना सीमा ज्ञान करवाये प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य स्थित भूमि पर चार दीवारी करवाने पर उतारू है। प्रार्थीया के द्वारा न्यायालय में अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का नाप चौप करवा कर प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि पर पत्थर गढ़ी करवाने बाबत् यह वाद/प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित ख0नं0 211/5 रकबा 04–16–10 भूमि पर अप्रार्थी सं0 4 की उपस्थिति में पत्थर गढ़ी किये जाने के आदेश पारित करने व अप्रार्थी सं0 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वह प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि पर कब्जा काश्त में किसी तरह की बाधा कारित नहीं करे एवं न ही किसी तरह की कोई चार दीवारी का निर्माण करे एवं न ही प्रार्थीया की भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण करे।

4.2 वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया ने अलग–अलग विधियों के अन्तर्गत अलग–अलग प्रावधानों को समेकित कर गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र संस्थित किया है। प्रार्थीया का उक्त परिवेश में प्रस्तुत प्रकरण प्रथम दृष्टया ही अलग–अलग कारणों के अनुतोषों का संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रकरण निरस्तनीय है। प्रार्थीया ने अत्यन्त भ्रामक तथ्यों के आधार पर हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया ने तथाकथित खसरा संख्या 211/5 के पूर्व दिशा, उत्तर दिशा के पड़ौसी को पक्षकार नहीं बनाया है। किसी भी भूमि का निर्धारण जब तक उससे लगते हुए समस्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया जाता है किसी एक सीमा के आधार पर अवधारण नहीं हो सकता है। इस आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

निरस्तनीय है। प्रार्थीया ने जानबुझकर वेग, अस्पष्ट, भ्रामक कथन किये है। प्रार्थीया दुर्भावना पूर्वक सड़क पर अधिक खुलती हुई भूमि का अधिकार चाहती है इसी दुर्भावना से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 3 में वर्णित कथन आपस में ही विरोधाभासी है एक तरफ प्रार्थीया ख0नं0 211/5 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी उत्तरकर्ता की ख0नं0 211/6 की भूमि बता रही है एवं इसी पैरा की अन्तिम पंक्ति में अप्रार्थी सं0 2, 3 जो उसके परिजन है उनकी भूमि दर्शा रही है। जानबूझकर अप्रार्थी सं0 2, 3 की भूमि के खसरा संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विरोधाभासी होने के कारण निरस्तनीय है।

5. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। ग्राम तोलामाल पटवार क्षेत्र बड़गांव तहसील किशनगढ़ में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 211/5 रकबा 04–16–10 भूमि प्रार्थीया के खातेदारी की भूमि है। सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा भू सर्वेक्षण एवं भू0अभिलेख कार्यक्रम जो हल्का पटवारी बड़गांव द्वारा क्रमांक 174 दिनांक 19.10.2012 को जारी किया गया है, उसमें इस ख0नं0 211/5 का स्पष्ट अंकन है। मौके पर सीमांकन की कार्यवाही राजस्व रिकॉर्ड मानचित्र अनुसार किया जाना राजस्व कार्मिक/भूमि धारक तहसीलदार भू0अ0 का दायित्व होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार आंशीक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिनश्र नियुक्त किया जाकर ग्राम तोलामाल पटवार क्षेत्र बड़गांव तहसील किशनगढ़ स्थित कृषि भूमि ख0नं0 211/5 रकबा 04–16–10 भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् कि उपस्थिति में सीमाकंन कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीया द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 15/12/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)